अध्याय–4

स्वतंत्र भारत – भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन

स्वतंत्रता के समय भारत को अर्थतंत्र के सन्दर्भ में अत्यन्त नाजुक परिस्थितियाँ हाथ लगी थीं। उपनिवेशवाद का भारतीय कृषि पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ा। इसने अर्थतंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। आधुनिक औद्योगिक परिवर्तनों से भारत को एकदम दूर रखा गया। अत्यधिक गरीबी, बर्बादी के कगार पर पहुँची हुई खेती एवं अन्य अनेक विकृतियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को अत्यन्त कठिन बना दिया था। ऐसे समय में एक के बाद एक कई भूमि सुधार सम्बन्धी कानून पारित किए गए और गरीबी के उन्मूलन के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया।

भूमि सुधार

स्वतंत्र भारत की सरकार का पहला कदम जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। चूँकि संविधान में भूमि सुधार राज्य का विषय है, इसलिये प्रत्येक राज्य सरकार को सामंती शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कानून–बनाने की जरूरत थी। अधिकांश राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा करने में चार–पाँच वर्ष लग गए, जिसके कारण जमींदार गलत ढंग से दस्तावेजों को अपने पक्ष में करने में सफल हो गए। नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर काश्तकार बेदखल हुए और जमींदार के नाम की जमीन उसके परिवार के अनेक सदस्यों व फर्जी नामों से तैयार की गई। फलस्वरूप जमींदारी उन्मूलन में भू–स्वामी द्वारा काश्तकारों से लगान वसूल करना तो गैर–कानूनी हो गया और बिचौलियों की समाप्ति तो हो गई लेकिन भू–जोतों की स्वामित्व पद्धति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा।

पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार भूमि सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा है। कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में कानून बनाए लेकिन सन् 1961 के जमींदारी उन्मूलन कानून के साथ ही भू–हदबंदी कानून सभी राज्यों में लागू किया गया। भू–हदबंदी का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग–अलग रहा। हालाँकि ये कानून व्यावहारिक दृष्टि से पूर्णतः अप्रभावी सिद्ध हुए क्योंकि भूमि का हस्तांतरण वैध और हेराफेरी दोनों तरीकों से बड़े पैमाने पर होता रहा। यह मानते हुए कि भूमि के समान वितरण में बहुत कम प्रगति हुई है, यह मुद्दा सन् 1970 में फिर उठाया गया। सन् 1972 में राज्यों के साथ विचार–विमर्श के बाद भू–हदबंदी कानून को फिर से बनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत् जोत के आकार को सीमित करने की व्यवस्था थी।

भूमि–सुधारों में काश्तकारी सुधारों के अलावा भू–जोतों पर सीमा–निर्धारण, चकबन्दी, सहकारी कृषि, भूमिहीनों में अतिरिक्त भूमि का वितरण आदि कई प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं, जिनको अपनाने से कृषि का उत्पादन बढ़ता है और साथ में सामाजिक न्याय का वातावरण भी तैयार होता है।

आजादी के बाद भूमि सुधारों की प्रक्रिया मूल रूप से दो चरणों में विकसित हुई है। पहला चरण

आजादी के तुरन्त बाद शुरू हुआ और वह साठ के दशक के आरम्भ तक जारी रहा। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थी–

– जमींदार, जागीरदार जैसे बिचौलियों की समाप्ति।
– काश्तकारी सुधार, जिनमें काश्तकारों को जोत की सुरक्षा प्रदान की गई, भूमि–कर कम किया गया और काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए गए।
– भूमि पर हदबन्दी।
– सहकारी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम।

सुधारों के इस दौर को 'संस्थागत सुधारों का दौर' भी कहा गया है।

साठ के दशक के मध्य या अन्त में शुरू होने वाला दूसरा दौर 'हरित क्रान्ति' का दौर था, जिसे 'तकनीकी सुधारों का दौर' भी कहा गया है।

भूमि–सुधार नीति एवं उठाए गए कदम–

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने काश्तकारों, बटाईदारों एवं भूमिहीन–मजदूरों की दशा सुधारने के लिए नई भूमि–सुधार नीति अपनायी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह निश्चित किया गया कि भूमि का मालिक स्वयं किसान को ही बनाया जाना चाहिए, तभी सामाजिक परिवर्तन हो सकेगा। इस योजना में अग्रांकित भूमि–सुधार कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया गया–

– मध्यस्थों को समाप्त करना।
– लगान में कमी और काश्तकारों को भू–स्वामी के अधिकार दिलाना।
– जोतों पर सीमा निश्चित करना एवं अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों को वितरण करना।
– जोतों की चकबन्दी करना।
– सहकारी कृषि का विकास करना।

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन–

आजादी के एक या दो वर्षों के अन्दर ही अर्थात् सन् 1949 आते–आते कई प्रदेशों में जमींदारी–उन्मूलन सम्बन्धी कानून बनाए गए, लेकिन पं. जवाहरलाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पंत और सरदार पटेल जैसे जमींदारी उन्मूलन के समर्थक कांग्रेसी नेताओं समेत कई लोगों के मन में व्यापक आशंकाएँ थी– उन्हें डर था कि जमींदार अपनी सम्पत्ति बचाने के लिए अदालतों का सहारा लेंगे और सम्पत्ति के अधिकारों एवं अपर्याप्त मुआवजे जैसे सवाल उठाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों के जमींदारों ने जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता का विरोध किया। जमींदारी उन्मूलन एक्ट अधिकतर राज्यों में सन् 1956 तक पास किया जा चुका था। जमींदारी–उन्मूलन का अर्थ था करीब दो करोड़ काश्तकारों का भू–स्वामी बनना।

मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति–

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में जमींदारी, जागीरदारी एवं इनामी जैसे मध्यस्थ भूमि–सम्बन्धी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। देश में पड़ी बंजर, परती अथवा अन्य श्रेणी की भूमि में से अधिकांश भूमि का वितरण भूमिहीनों एवं सीमान्त भू–स्वामियों में कर दिया गया।

काश्तकारी सुधार–

जमींदारी उन्मूलन के बाद भी जमींदारी क्षेत्रों में मौखिक और बिना रिकॉर्ड वाले काश्तकारी के मसले

बरकरार रहे। इस प्रकार की काश्तकारी उन भूतपूर्व जमींदारों की जमीन पर जारी रही, जिनकी जमीनें अब 'व्यक्तिगत खेती' की श्रेणी में बताई जाने लगी तथा साथ ही यह उन भूतपूर्व लम्बे समय से अवस्थित काश्तकारों की जमीनों पर जारी रही, जो अपनी जमीनें बटाई पर लगाने लगे। इसके अलावा आजादी के वक्त सिर्फ आधी भूमि ही जमींदारी व्यवस्था के तहत थी, बाकी आधी जमीन रैय्यतवाड़ी के अन्तर्गत थी, जहाँ भूस्वामित्त्व की समस्याएँ, असुरक्षा, भारी लगान वाली काश्तकारी इत्यादि समस्याएँ अत्यन्त व्यापक थी।

काश्तकारी सुधारों की तीन प्रमुख विशेषताएँ थी–

- उन काश्तकारों के लिए काश्तकारी की गारंटी करना, जिन्होंने विशेष अवधि तक उस जमीन पर खेती की हो।
- काश्तकारों द्वारा दिए गए लगान को एक उचित स्तर पर लाना।
- काश्तकार को, कुछ सीमाओं के साथ, उसके द्वारा जोती जा रही जमीन के स्वामित्त्व का अधिकार मिलना।

भारत में काश्तकारी कानून का उद्देश्य काश्तकारों को स्वामित्त्व का अधिकार दिलवाना था। काश्तकारी प्रथा को नियमित एवं नियन्त्रित करना बहुत कठिन रहा है, क्योंकि देश में भूमिहीन श्रमिकों की भरमार है।

भूमि हदबन्दी अथवा जोतों पर सीमा निर्धारण–

भारत में भूमि–सुधारों का एक प्रमुख हिस्सा भू–सम्पत्ति पर हदबन्दी तय करना था। इसका उद्देश्य भूमि का वितरण अधिक समान बनाना था। आजादी के बाद भूमि–हदबन्दी के विचार का प्रबल समर्थन किया गया। पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समिति ने सुझाव दिया कि, "भूमि की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए। इस सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण करके ग्राम सहकारिता समिति को सौंप देना चाहिए।" जे.सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने भी जुलाई 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए भूमि–हदबन्दी का समर्थन किया। इस हदबन्दी में आर्थिक हदबन्दी का तीन गुना होने का सुझाव दिया गया। आर्थिक हदबन्दी वह हदबन्दी थी जो खेतिहर को उचित जीवन–स्तर प्रदान करे, सामान्य आकार के परिवार को पूर्ण रोजगार दे और कम से कम दो बैल मुहैया करा सके। इसमें अचरज नहीं कि शुरू में इरादों की घोषणा के बावजूद, आजादी के आरम्भिक वर्षों में हदबन्दी के सवाल पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई। इस बीच देश की विभिन्न संस्थाओं में हदबन्दी का विरोध होने लगा था। भूस्वामियों और शहरी निहित स्वार्थों को निजी सम्पत्ति के लिए खतरा दिखाई पड़ने लगा।

हदबन्दी कानूनों का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव, शायद सबसे महत्त्व का, यह था कि उनके कारण भू–बाजार का खात्मा हो गया और साथ ही गैर–किसानीकरण की प्रक्रिया के जरिए जमीन की संकेन्द्रीकरण–प्रक्रिया रुक गई। यदि भूसम्पत्ति पर हदबन्दी न होती तो भू–बाजार में प्रतियोगिता के चलते संकेन्द्रण की सम्भावना थी।

कृषि का पुनर्संगठन–

चकबन्दी– भूमि के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्रित करना ही चकबन्दी कहलाता है। देश में चकबन्दी क्षेत्र कुल कृषित भूमि का लगभग 1/3 अंश है। चकबन्दी से अपखण्डन के दोष दूर हो जाते हैं और भूमि की उत्पादकता में सुधार होता है। प्रोफेसर बी.एस. मिन्हास ने कृषिगत सुधारों में चकबन्दी पर काफी बल दिया था, जिससे इसका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है।

भूमि के प्रबन्ध में सुधार– इसके अन्तर्गत बंजर भूमि का उपयोग, सुधरे हुए बीजों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग आदि आते हैं। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि के प्रबन्ध में सुधार करने पर जोर दिया गया था।

सहकारी खेती– भूमि के छोटे–छोटे टुकड़ों को मिलाकर संयुक्त खेती करना भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गाँधी एवं पं. जवाहरलाल नेहरू सहित राष्ट्रीय आन्दोलन के कई नेता इस बात पर सहमत थे कि सहकारिता से भारत की खेती में बड़ी उन्नति होगी और इससे विशेष तौर पर गरीबों को फायदा पहुँचेगा। इसलिए सहकारिता, भूमि सुधार के जरिए संस्थागत परिवर्तन लाने का एक महत्त्वपूर्ण तत्व था। लेकिन हदबन्दी के ही समान इस प्रश्न पर भी, खासकर किसानों के बीच, कोई आम सहमति नहीं थी। अतः यह स्पष्ट कर दिया गया कि सहकारिता की ओर कोई भी कदम विचार–विमर्श और किसानों की सहमति और सद्भावना के जरिए होगा। इसमें किसी भी बल–प्रयोग या जबर्दस्ती की गुंजाइश नहीं थी।

भारत में सहकारिता आन्दोलन के इतिहास का वर्णन इस क्षेत्र के सबसे सफल प्रयोग की चर्चा के बिना पूरा नहीं हो सकता। यह प्रयोग अन्य सभी से बिल्कुल भिन्न था। इसकी शुरूआत एक साधारण स्तर पर गुजरात के खेड़ा जिले में हुई। यही आगे चलकर उस 'श्वेत क्रान्ति' (White revolution) का आरम्भकर्त्ता साबित हुआ, जो सारे भारत में फैल गई।

भूदान आन्दोलन–

यह आन्दोलन भू–सुधार के अन्तर्गत कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने, जैसे भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं, बल्कि एक आन्दोलन के जरिए करने की कोशिश थी। प्रसिद्ध गाँधीवादी रचनात्मक कार्यकर्त्ता आचार्य विनोबा भावे ने पचास के दशक के आरम्भ में इस आन्दोलन के लिए गाँधीवादी तकनीकों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाने का प्रयास किया।

विनोबा भावे ग्राम समूह के मध्य

विनोबा भावे ने 'सर्वोदय समाज' की स्थापना की, जो रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य था– देश में अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना। वे और उनके अनुयायी पदयात्राएँ किया करते थे। गाँव–गाँव पैदल जाकर बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा 'भूदान' के रूप में, भूमिहीनों और गरीब किसानों के बीच बाँटने के लिए देने का अनुरोध करते थे। इनका उद्देश्य था– इस प्रकार 5 करोड़ एकड़ जमीन हासिल करना, जो भारत में 30 करोड़ एकड़ जोतने–लायक जमीन का छठा हिस्सा बनता था। विचार यह था कि औसतन पाँच सदस्यों का परिवार अपनी जमीन का छठा भाग छोड़ दे और भूमिहीन गरीब कृषक

को अपने परिवार का सदस्य बना ले।

यह आन्दोलन सरकार से स्वतंत्र था, लेकिन इसे कांग्रेस का समर्थन हासिल था। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी सक्रिय राजनीति छोड़ भूदान आन्दोलन में शामिल हो गए।

विनोबा भावे को जमीन का पहला दान 18 अप्रैल, 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम में मिला। तीन महीनों से भी कम समय में उन्होंने इस क्षेत्र के करीब 200 गाँवों का दौरा किया और दान के रूप में 12,200 एकड़ भूमि पाई। इसके बाद आन्दोलन उत्तर भारत में, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में फैल गया। शुरू के वर्षों में आन्दोलन को काफी हद तक सफलता मिली। उसे मार्च, 1956 तक दान के रूप में 40 लाख एकड़ से अधिक जमीन मिली।

सन् 1955 का अन्त आते–आते आन्दोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया और वह था– 'ग्रामदान'। ग्रामदान वाले गाँवों की भूमि को सामूहिक स्वामित्त्व की या सभी के लिए बराबर वाली भूमि माना गया। वह किसी एक व्यक्ति की नहीं मानी गई। आन्दोलन की शुरुआत उड़ीसा से हुई और वहाँ वह बड़ा सफल रहा। सन् 1960 का अन्त आते–आते देश में ग्रामदान गाँवों की कुल संख्या 4500 से अधिक हो चुकी थी।

भू–सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन–

भारत में योजनाकाल में भूमि–सुधार सम्बन्धी कानूनों की बाढ़–सी आ गयी थी। हमने भूमि–सुधार जैसे क्रान्तिकारी कार्यक्रम को प्रजातांत्रिक एवं शान्तिपूर्ण तरीकों से अपनाने का रास्ता चुना था। भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति लिए जाने पर सरकार ने उसे उचित मुआवजा देने की व्यवस्था स्वीकार की है। जमींदारी उन्मूलन, काश्तकारी कानूनों और हदबन्दी कानूनों का कुल मिलाकर काफी प्रभाव पड़ा। इनके कारण भूमि सुधारों के एक मुख्य उद्देश्य अर्थात् निवेश करने वाले तथा उत्पादक प्रगतिशील किसानों का तबका तैयार करने में काफी मदद मिली। वैधानिक और शांतिपूर्ण भूमि सुधारों के माध्यम से काँग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने का ठोस प्रयास किया गया।

गरीबी उन्मूलन

आजादी के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों में से एक थी, ऐसा विकास, जिससे समूचे समाज का भला होता हो न कि कुछ एक तबकों का। इस सन्दर्भ में संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबसे साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक–सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। भारतीय संविधान ने 'राज्य के नीति–निदेशक तत्वों' के अन्तर्गत लोक–कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी की समाप्ति के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी।

भारत प्रमुखतया एक गाँवों का देश है तथा गाँवों में कृषि की प्रधानता होती है। कृषि में खेतिहर मजदूरों की समस्या सबसे अधिक गम्भीर मानी गई है। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में "निर्धनता– उन्मूलन" को योजना

के एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। सन् 1971 के लोक सभा चुनावों में काँग्रेस ने 'गरीबी हटाओ' (Garibi Hatao) का नारा दिया था। प्रो. डी.आर. गाडगिल, डॉ. वाई.के. अलघ, प्रो. डी.टी. लकड़ावाला, प्रो. वी.एम. दांडेकर, एस.आर. हाशिम, सुरेश डी. तेन्दुलकर और हाल ही में डॉ. सी. रंगराजन आदि ने भारत में निर्धनता पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार निर्धनता का प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा चर्चित प्रश्न रहा है।

गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। 'गरीबी की रेखा' से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पहचान का मुद्दा पिछले कुछ समय से विवादास्पद बना हुआ है। योजना आयोग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation : NSSO) के सर्वेक्षणों के आधार पर ही 'गरीबी रेखा' से नीचे के लोगों की संख्या अर्थात् निर्धनों की संख्या का आकलन करता रहा है।

गरीबी की रेखा (Poverty Line)–

गरीबी की विवेचना में प्रायः 'गरीबी की रेखा' (Poverty Line) की बात उठाई जाती है। हमारे देश में गरीबी का विचार "कैलोरी के उपभोग" की मात्रा से जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। तेन्दुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011–12 के लिए नई निर्धनता–रेखा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय का स्तर 816 रुपये एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया। रंगराजन समिति के अनुसार निर्धनता की रेखा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह ली गयी। निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या में अनुपात 'निर्धनता–अनुपात' (Poverty-ratio) कहलाता है। वे लोग जो कैलोरी या मासिक आय के आधार पर गरीबी / निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं, उन्हें BPL (Below Poverty Line) कहा जाता है।

भारत में निर्धनता अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों, सीमान्त एवं लघु कृषकों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में पाई जाती है।

निर्धनता को दूर करने के सरकारी उपाय–

भारत में सरकार निर्धनता को दूर करने के लिए आर्थिक विकास एवं विशिष्ट निर्धनता–निवारण–कार्यक्रमों का उपयोग कर रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आर्थिक विकास की गति तेज करने से निर्धनता को कम करने में अवश्य मदद मिलेगी, लेकिन साथ में विशेष–निर्धनता–उन्मूलन एवं रोजगार–संवर्द्धन कार्यक्रम चलाने से समस्या के हल में सहूलियत होगी। अतः हमें इन दोनों को एक साथ सफल बनाने पर पर्याप्त जोर देना चाहिए। सरकार द्वारा पूर्व वर्षों में कई कार्यक्रमों की क्रियान्विति से गरीबी कम करने एवं रोजगार सृजन में कुछ सीमा तक मदद मिली है, जिनमें से कुछ कार्यक्रम निम्न हैं–

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme : IRDP)– यह कार्यक्रम निर्धनता–उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है। 1978–79 से प्रारम्भ इस कार्यक्रम में लघु कृषकों को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी, सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों को 33.3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme : NREP)– 1980 में प्रारम्भ इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, तालाब, लघु सिंचाई, पेयजल के लिए कुओं, स्कूल, पंचायत घर आदि का विकास हुआ था।

ग्रामीण–भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (Rural-Landless Employment Guarantee Programme : RLEGP)– 1983 में प्रारम्भ इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़कों एवं स्कूल भवनों का निर्माण कार्य किया गया।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme : MNP)– इस कार्यक्रम को पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (सन् 1974–78) के पहले वर्ष में प्रारम्भ किया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधि सन् 1974–79 थी, जिसे नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने सन् 1978 में समाप्त कर दिया था। MNP बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रारम्भ किया गया था। इसमें ईंधन की लकड़ी और चारा योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें, जल आपूर्ति, सफाई, खाद्य आपूर्ति आदि योजनाएँ शामिल की गई।

सूखा–संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (Drought-Prone Area Programme : DPAP)– केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1973–74 में प्रारम्भ इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुधारना था। इस कार्यक्रम में भू–संरक्षण, जल–संसाधन विकास, भूमि विकास एवं वन विकास आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाए गए, जिससे सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके और गरीबों को लाभ मिल सके।

बीस सूत्री कार्यक्रम (Twenty Point Programme : TPP)– 1975 में शुरु किए गए इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और देश के गरीबों एवं वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि एवं भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्गों का संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है।

1 अप्रैल, 1989 को NREP एवं RLEGP को जवाहर रोजगार योजना (Jawahar Rozgar Yojana : JRY) में मिला दिया गया था। JRY को 1 अप्रैल, 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Gram Samridhi Yojana) में मिला लिया गया।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Gram Samridhi Yojana : JGSY)– यह 1 अप्रैल, 1999 से जवाहर रोजगार योजना के बाद के क्रम में लागू हुई थी और इसके तहत् गाँवों में टिकाऊ उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाता था। इसे 2001 में रोजगार आश्वासन योजना (EAS) के साथ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) में मिला दिया गया था।

रोजगार आश्वासन योजना (Employment Assurance Scheme : EAS)– यह योजना 2 अक्टूबर, 1993 से पिछड़े एवं सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराना था। इसे सन् 2001 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) में मिला दिया गया।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (Sampoorna Grameen Rozgar Yojana : SGRY)– यह योजना 25 सितम्बर, 2001 से प्रारम्भ की गयी थी। इसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) एवं रोजगार आश्वासन योजना (EAS), दोनों को मिला दिया गया था। यह केन्द्र चालित योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पर रोजगार (Wage employment) उपलब्ध कराना है, ताकि सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana : SJSRY)- इसके अन्तर्गत दो विशिष्ट योजनाएँ हैं– (1) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (2) शहरी मजदूरी रोजगार।

दिसम्बर, 1997 में यह योजना पूर्व में संचालित कई शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को मिलाकर बनाई गई थी। इसके तहत् निर्धन व्यक्तियों को दक्षता का प्रशिक्षण (Skill training) दिया जाता है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana : SGSY)– इसे 1 अप्रैल, 1999 को निम्न छः योजनाओं को मिलाकर शुरू किया गया है–

- **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme : IRDP)–** यह कार्यक्रम निर्धनता–उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया था।
- **ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (Training of Rural Youth for Self-Employment : TRYSEM)–** यह योजना 1979 में 18 से 35 वर्ष तक के ग्रामीण निर्धन युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का लक्ष्य इन युवाओं को बुनियादी तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना था।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (Development of Women and Children in Rural Areas : DWCRA)–** यह योजना 1982–83 में IRDP की एक उपयोजना के रूप में प्रारम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली ग्रामीण महिलाओं को आय सृजित करने वाली गतिविधियों द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनका सामाजिक–आर्थिक विकास करना था।
- **दस लाख कुओं की योजना (Million Wells Scheme : MWS)–** यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बन्धुआ मजदूरों को सिंचाई हेतु निःशुल्क कुएँ प्रदान करने के लिए प्रारम्भ की गई।
- **ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार किट आपूर्ति योजना (Supply of Improved ToolKits to Rural Artisans Scheme : SITRA Scheme)–** यह योजना 1992 में IRDP की एक उपयोजना के रूप में प्रारम्भ की गई। इसके तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तकारों को उन्नत औजारों की आपूर्ति की जाती थी।
- **गंगा कल्याण योजना (Ganga Kalyan Yojana : GKY)–** 1997 से शुरू इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लघु और सीमान्त किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाकर उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

2011 में SGSY को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission : NRLM) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। NRLM का उद्देश्य निर्धनता निवारण के लिए निर्धन परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार एवं दक्ष मजदूरी रोगजार के अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana NRLM : DAY-NRLM) कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (Pradhan Mantri Gramodaya Yojana : PMGY)– वर्ष 2000–01 में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास एवं ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए लागू किया गया था। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार की सम्भावना व्यक्त की गई।

अन्त्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana : AAY)– वर्ष 2000 में यह योजना गरीब

परिवारों में सबसे गरीब (Poorest of the poor families) को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई। इसके तहत् देश के एक करोड़ निर्धनतम् परिवारों को प्रति माह निश्चित मात्रा में अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत् जारी किए जाने वाले गेहूँ एवं चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपये एवं 3 रुपये प्रति किग्रा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana : PMGSY)– वर्ष 2000 में शुरू इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों द्वारा गाँवों को जोड़ना है। यह योजना न केवल देश के ग्रामीण विकास में सहायक है, बल्कि इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एक प्रभावी घटक स्वीकार किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana : IAY)– यह योजना वर्ष 1985 में RLEGP की एक उपयोजना के रूप में आरम्भ की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था। 1989–90 में RLEGP को JRY में मिला दिए जाने के बाद इस योजना को भी JRY का अंग बना दिया गया, किन्तु 1996 में इसे JRY से अलग करके एक स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया है। 2015 में इस योजना का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana : PMGAY) के रूप में पुनर्गठन किया गया।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act : MNREGA)– ग्रामीण बेरोजगारी, भूख एवं गरीबी से निजात पाने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी, 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया। NREGA वर्ष 2005 में पारित हुआ था। पहले चरण में वर्ष 2006–07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनींदा जिलो में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया था। 1 अप्रैल, 2008 से इस योजना को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। 'काम के बदले अनाज योजना' (Food for Work Programme) एवं 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' (Sampoorna Grameen Rozgar Yojana) का विलय अब इस नई योजना में कर दिया गया। वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम' (NREGA) का नाम बदलकर 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम' (MNREGA) कर दिया। इस योजना के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को वर्ष में कम–से–कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य 'काम करने का अधिकार' (Right to work) की गारंटी देना है। इस योजना को विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना माना जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 (National Food Security Act, 2013)– इस अधिनियम का उद्देश्य देश की दो–तिहाई आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति करना है। यह अधिनियम भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों यथा– मध्याह्न भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि को कानूनी आधार प्रदान करता है। इस कानून के तहत् प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 5 किग्रा खाद्यान्न रियायती दर पर मिलेगा। गेहूँ का निर्गम मूल्य दो रुपये, चावल का तीन रुपये तथा मोटे अनाज का एक रुपया प्रति किग्रा होगा। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आच्छादित समाज के निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 किग्रा खाद्यान्न उपर्युक्त रियायती दरों पर ही मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकारें चिह्नित करेंगी। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छः हजार रुपये का प्रसव भत्ता मिलेगा। 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के प्रत्येक बच्चे को आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से अनुसूची–II के मानकानुसार प्रतिदिन

पौष्टिक भोजन निःशुल्क मिलेगा। सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, अवकाश के दिनों को छोड़कर, दोपहर का भोजन मुफ्त मिलेगा। कुपोषित बच्चों, जिन्हें राज्य सरकार आँगनबाड़ी के माध्यम से चिह्नित करेगी, को निःशुल्क भोजन मिलेगा।

निर्धनता की समस्या को हल करने के लिए सुझाव–

- ग्रामोत्थान की एक व्यापक योजना बनानी चाहिए, जिसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का एकीकरण किया जा सके।
- पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सहकारी अर्थव्यवस्था आदि को अधिक साकार रूप दिया जाना चाहिए ताकि ये भावी विकास के स्रोत बन सकें।
- ग्रामीण निर्धनों का एक राजनीतिक संगठन बनाया जाना चाहिए, जो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके।
- एक विस्तृत राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिसमें मजदूरी पर नियमित रोजगार की व्यवस्था की जा सके।
- ग्रामीण मजदूरों के लाभ से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
- काश्तकारी सुधारों, चकबन्दी, सीमा–निर्धारण एवं अन्य भूमि–सुधार कानूनों की समीक्षा करके एक व्यावहारिक एवं संशोधित भूमि–सुधार कार्यक्रम अपनाकर उसे निकट भविष्य में कड़ाई से लागू करना चाहिए। वैसे भी देशभर में द्वितीय पीढ़ी के भूमि सुधार कार्यक्रम की मांग जोरों से बढ़ रही है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में "दो बच्चों के परिवार" का मानक लागू करने के लिए ऐसी दिशाओं में निवेश किया जाना चाहिए, जिनसे स्त्रियों के कल्याण में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हो।
- "हम ही गरीबी के लिये उत्तरदायी हैं और हम ही इसे मिटा सकते हैं।" ऐसा विश्वास सर्वत्र जगाया जाना चाहिए।

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016–17 में निर्धनता–निवारण के लिए एक नये प्रयास 'सार्वजनीन आधारभूत आमदनी' (Universal Basic Income-UBI) की चर्चा प्रारम्भ की गयी है। आशा है कि इस अवधारणा पर आगामी वर्षों में विचार करके कोई निर्णय लिया जाएगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न–

1. भारत में भूमि सुधारों मे कौनसा सुधार 'संस्थागत सुधार' की श्रेणी में शामिल नहीं है?
   (अ) बिचौलियों की समाप्ति
   (ब) काश्तकारों को जोत की सुरक्षा प्रदान करना
   (स) भूमि पर हदबन्दी
   (द) हरित क्रान्ति
2. विनोबा भावे को 'भूदान आन्दोलन' के दौरान पहला भूमिदान किस राज्य में प्राप्त हुआ?
   (अ) केरल (ब) आन्ध्र प्रदेश
   (स) तमिलनाडु (द) कर्नाटक
3. निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता–उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है?
   (अ) NREP (ब) RLEGP
   (स) IRDP (द) DPAP
4. 1 अप्रैल, 1999 को छः योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना प्रारम्भ की गई। वह योजना कौनसी है?
   (अ) SGRY (ब) SJSRY
   (स) SGSY (द) PMGY
5. 'मनरेगा' (MNREGA) का शुभारम्भ कब हुआ?
   (अ) 2005 ई. में (ब) 2006 ई. में
   (स) 2009 ई. में (द) 2015 ई. में

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. चकबन्दी का क्या अर्थ है?
2. भूदान आन्दोलन से क्या अभिप्राय है?
3. 'गरीबी रेखा' को परिभाषित कीजिए।
4. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) का उद्देश्य क्या था?
5. सूखा–सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) पर टिप्पणी कीजिए।
6. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) में कौन–कौनसी योजनाओं को शामिल किया गया था?

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
2. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) को संक्षेप में समझाइए।
3. मनरेगा (MNREGA) के बारे में आप क्या जानते हैं?
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 पर टिप्पणी कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न–

1. भारत में भूमि सुधारों हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए भू–सुधारों की प्रगति का मूल्याँकन कीजिए।
2. भारत में निर्धनता को दूर करने के सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए।